

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 49/2018 (2018/00124) वाद पत्र

अनवान

1—अम्बालाल पिता जगरूप कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1.(1)—मोतीलाल पिता अम्बालाल कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
वादी

बनाम

1—पन्ना पिता धन्ना कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—छितरमल पिता धन्ना कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—नारायणी पुत्री धन्ना कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये जहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज0 टी0 एक्ट

1—जाकिर हुसैन

अधिवक्ता वादी

2—फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 23.01.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 19.05.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मीयाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के सामलाती खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 56/1497 रकबा 0.21 हेक्ट. आराजी संख्या 157/1498 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 159/1500 रकबा 0.47 हेक्ट. आराजी संख्या 164/1505 रकबा 0.18 हेक्ट. आराजी संख्या 180 रकबा 0.29 हेक्ट. आराजी संख्या 880 रकबा 0.02 हेक्ट. आराजी संख्या 881 रकबा 0.02 हेक्ट. आराजी संख्या 882 रकबा 0.02 हेक्ट. आराजी संख्या 883 रकबा 0.08 हेक्ट. आराजी संख्या 884 रकबा 0.02 हेक्ट. आराजी संख्या 885 रकबा 0.03 हेक्ट. आराजी संख्या 910 रकबा 0.24 हेक्ट. आराजी संख्या 920 रकबा 0.11 हेक्ट. कुल किता 13 कुल रकबा 2.01 हैक्ट. भूमि स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स के आधार पर प्रत्येक हिस्से तक आवागमन का रास्ता रखते हुए स्वतन्त्र राजस्व खाता रवेन्यु रिकार्ड में खाले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसकी पालना में दिनांक 03.06.2015 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई जिस पर वादी के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति पत्र बंटवाड़ा प्रस्ताव का प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत किया गया जिससे बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर से पुनः चाहा गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 19.05.2016 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर निर्णय पारित किया गया था जिसकी अपील होने से अपील

न्यायालय द्वारा रिमाण्ड कर पुनः बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के निर्देश प्रदान किये गये।

जिसकी पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 31.12.2019 को प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम धुलखेड़ा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में की प्रस्तावित आराजी संख्या 156/1497 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 157/1498/1 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 180 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 880 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 881 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 882 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 885 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 910 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 920 रकबा 0.11 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.01 है0 भूमि मोतीलाल पिता अम्बालाल कुमावत सा0 देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 157/1498/3 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 159/1500/2 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 164/1505 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 883 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 884 रकबा 0.02 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.95 है0 भूमि पन्नालाल, छितरमल पिता धन्ना नारायणी पुत्री धन्ना कुमावत सा0 देह खातेदार एवं सामलाती पूर्ववत हिस्सा आराजी संख्या 157/1498/2 रकबा 0.02 है0, गैमु, रास्ता आराजी संख्या 159/1500/1 रकबा 0.03 है0 गैमु, रास्ता, बदस्तुर खातेदार यथावत रखते हुए रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



23-1-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 49/2018 (2018/00124) वाद पत्र

अनवान

1—अम्बालाल पिता जगरूप कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1.(1)—मोतीलाल पिता अम्बालाल कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
वादी


बनाम

1—पन्ना पिता धन्ना कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—छितरमल पिता धन्ना कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—नारायणी पुत्री धन्ना कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये जहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम धुलखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 156/1497 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 157/1498/1 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 180 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 880 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 881 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 882 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 885 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 910 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 920 रकबा 0.11 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.01 है0 भूमि मोतीलाल पिता अम्बालाल कुमावत सा0 देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 157/1498/3 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 159/1500/2 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 164/1505 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 883 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 884 रकबा 0.02 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.95 है0 भूमि पन्नालाल, छितरमल पिता धन्ना नारायणी पुत्री धन्ना कुमावत सा0 देह खातेदार एवं सामलाती पूर्ववत हिस्सा आराजी संख्या 157/1498/2 रकबा 0.02 है0, गैमु.रास्ता आराजी संख्या 159/1500/1 रकबा 0.03 है0 गैमु.रास्ता, बदस्तुर खातेदार यथावत रखते हुए रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 23.01.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।


23-1-2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

